संख्या–1709 /सेक–2–पांच–15–7(192)/2014

प्रेषक,

अरविन्द नारायण मिश्र,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 21 सितम्बर, 2015

विषयः–प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (पी0एम0एच0एस0 संवर्ग) के पदधारकों को ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था की स्वीकृति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन।

महोदया,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–794/सेक–2–पांच–15–7(192)/14, दिनांक 26.02.2015 द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (पी0एम0एच0एस0 संवर्ग) के पदधारकों को विशिष्ट ए0सी0पी0 की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर–5 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विभिन्न स्तरों पर वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–795/सेक–2–पांच–15–7(192)/14, दिनांक 26.02.2015 द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया था।

2– सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश संख्या–795/सेक–2–पांच–15–7(192)/14, दिनांक 26.02.2015 को अवक्रमित करते हुए विभिन्न स्तरों पर वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु निम्नवत् स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता हैः–

वित्तीय स्तरोन्नयन	पी0एम0एच0एस0 सवर्ग में प्रथम स्तर के पद पर नियुक्ति की तिथि से सेवावधि	ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतन बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन	स्क्रीनिंग कमेटी की संरचना (पदेन)
प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु	04 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा	वेतन बैण्ड–3 एंव ग्रेड वेतन रू0 6600/–	अध्यक्ष– निदेशक (प्रशासन) सदस्य–1 अपर निदेशक (कार्मिक) सदस्य–2 वित्त नियंत्रक या उनके द्वारा नामित सदस्य।
द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु	कुल 11 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा	वेतन बैण्ड–3 एंव ग्रेड वेतन रू0 7600/–	अध्यक्ष– निदेशक (प्रशासन) सदस्य–1 अपर निदेशक (कार्मिक) सदस्य–2 वित्त नियंत्रक या उनके द्वारा नामित सदस्य।
तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु	कुल 17 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा	वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/–	अध्यक्ष– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। सदस्य–1 निदेशक (प्रशासन)

	संतोषजनक सेवा	रू0 8700/–	सदस्य–2 वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
चतुर्थ वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु	कुल 24 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा	वेतन बैण्ड–4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8900/–	अध्यक्ष– महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें। सदस्य–1 निदेशक (प्रशासन) सदस्य–2 वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

3– स्क्रीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठके आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

4– उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (पी0एम0एच0एस0 संवर्ग) के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

5– उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

भवदीय,

/

(अरविन्द नारायण मिश्र)

सचिव।

संख्या–1709 (1)/सेक–2–पॉच–15, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला/पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. वित्त(सामान्य)अनुभाग–1/2/3 ।
10. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3।
11. वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग–1/2 ।
12. चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
13. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।